रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1971/फाल्गुन 5, 1892

No. 156] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1971/PHALGUNA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February 1971

S.O. 929.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification No 464/MP-IIP/71(1), dated the 27th January, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), as S.O. No. 469, dated the 27th January, 1971 namely:—

For the figures, letters and word "8 A.M. to 5 P.M" the figures, letters and word, "7-30 A.M. to 5-30 P.M." shall be substituted.

[No. 464/MP-IIP/71(1).]

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1971

एस० ओ० 929.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3(ii), तारीख 27 जनवरी, 1971 में सं० का० आ० 469 के रूप में प्रकाशित उसकी अधिसूचना सं० 464/म०प्र०—लो०स०/71(1) तारीख 27 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्—

"8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर

"7–30 बजे पूर्वाह्न से 5–30 बजे अपराह्न" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 464/म०प्र०—लो०स०/71(1)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971